संख्याः 450/18(1)/2006

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

राजस्व विभाग

देहरादूनः दिनांकः 30 जून, 2006

विषयः—वेदमाता गायत्री ट्रस्ट हल्दूचौड़, नैनीताल हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—749(2)/11—आर.के.खाम/2006 दिनांक 20 मई, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट शान्तिकुंज हरिद्वार के संरक्षण में संचालित वेदमाता गायत्री ट्रस्ट हल्दूचौड़, नैनीताल को राजस्व अनुभाग—1 (उ0प्र0शासन) के शासनादेश संख्या—558/16(1)/73—रा—1 दिनांक 9 मई, 1984 तथा शासनादेश संख्या—1695/97—1—1(60)/93—रा—1 दिनांक 12—9—97 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत ग्राम जग्गी बंगर तहसील लालकुँआ जिला नैनीताल के खतौनी खाता संख्या 113 के खेत संख्या 464 क्षेत्रफल 0.623 है0 मध्ये 0.145 है0 भूमि वर्तमान बाजार मूल्य रु0 1,74000—00 के दोगुना नजराना रु0 3,48000—00 (तीन लाख अड़चालिस हजार रुपये मात्र) एक मुश्त जमा करने के अतिरिक्त वर्तमान दर पर निकाली गयी मालगुजारी रु0 3.60 के बीस गुने के बराबर रु0 72—00 (रु0 बहत्तर मात्र) वार्षिक किराया नियत करके निम्नलिखित शर्तो के अधीन पट्टे पर आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की गई है।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकारी पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

.....(2)

(3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–150/1/85(24)–रा0–6 दिनांक 9 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षो के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगाान के 1–1/2 गुना से कम नहीं होगा।

(4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को न रह जायेगी तो भूमि निर्माण (Structure) सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर आदि देय न होगा।

(5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो या संस्था का विघटन हो जाता है, तो भूमि/भवन सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(6) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या 1 से 5 तक में किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि मय निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

2– उक्त आदेशों का तत्काल कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एंव तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उतरांचल, देहरादून।
2– आयुक्त, कुमॉयू मण्डल, नैनीताल।
3– प्रबन्धक, श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, हरिद्वार।
4– निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तरांचल।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।